नाजायज वसीयत

संपादक- मौलाना जलील अहसन नदवी रह.

1] रसूलुल्लाहﷺ ने फरमाया की कोई मर्द और इसी तरह कोई औरत साठ साल तक अल्लाह की इताात करने में गुजारते हे फिर उन्के मरने का वकत आता हे तो वसीयत के जरिये वरसा को नुकसान पहुंचा देते हे तो उन दोनो के लिए जहन्नम वाजिब हो जाती हे. उस्के बाद हदीस के रावी अबू हुरैरा रदी, ने हदीस के मजमून की ताईद में ये आयत पढी "मिम्बअदि वसिय्यतिन से लेकर जालिकल फौजुल अजीम" तक. हजरत अबू हुरैरा रदी, ने हदीस के मजमून की ताईद में जो आयत पढी वो सूरह निसा के दूसरे रूकू में हे जिसमे अल्लाह ने हिस्सादारो का हिस्सा मुकर्रर करने के बाद फरमाया की ये हिस्से मय्यत की वसीयत को और कर्ज़ो को अदा करने के बाद वरसा में बाटे जाएंगे उस्के बाद अल्लाह ने फरमाया खबरदार वसीयत के जरिये वरसा को

नुकसान ना पहुंचाना, ये अल्लाह का फरमान हे और अल्लाह इल्म और हिकमत वाला हे, उसने ये जो कानून बनाया हे वो गलत नहीं हे बल्की इल्म पर मबनी (बुनियाद रखने की जगह) हे और उसमे हिकमत काम कर रही हे नाइन्साफी और जुल्म का नाम ओ निशान नहीं हे, इसलिए इस कानून को खुशदिली से कुबूल करो. इसके बाद फरमाया की ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदे हे और जो लोग अल्लाह और रसूल! की बात मानेगे तो अल्लाह उन्हे ऐसी जन्नतो में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरे बेहती होगी, और जिनमे वो हमेशा रहेगे, और यही बडी कामयाबी हे और जो लोग अल्लाह और रसूल! की नाफरमानी करेगे और उस्की मुकर्रर की हुई हदो को तोडेगे तो अल्लाह उन्को जहन्नम में दाखिल करेगा जिसमे वो हमेशा रहेगे और उन्के लिए जलील करने वाला अज़ाब होगा.

_रिवायत मुसनदे अहमद का खुलासा | अन अबू हुरैरा रदी.

2] रसूलुल्लाहﷺ ने फरमाया की जो अपने वारिस को

मीरास से मेहरूम कर देगा, तो अल्लाह कयामत के दिन उस्को जन्नत की मीरास से मेहरूम कर देगा.

_रिवायत इबने माजा का खुलासा | अन अनस रदी.

3] मरने वाला अपने माल के सिर्फ 1/3 में वसीयत कर सकता हे, इस्मे उस्को इख्तियार हे की चाहे किसी मदरेसा या मस्जिद के लिए वक्फ करे या किसी भी जरूरतमन्द मुसलमान के हक में वसीयत करे, उस्को आजादी हे लेकिन मुनासिब ये हे की वो पहले ये देखे की अजीजो, रिश्तेदारो में से किस को हिस्सा नहीं मिला हे और उस्की हालत कैसी हे अगर कोई ऐसा हे जिस्को कानून के हिसाब से विरासत में हिस्सा नहीं मिला, और बाल बच्चो वाला हे और माली हालत अच्छी नहीं हे तो उस्के हक में वसीयत करना ज़्यादा सवाब का काम होगा.

_रिवायत तिर्मिजी का खुलासा | अन सअद बिन अबी वक्कास रदी.

4] रसूलुल्लाहﷺ ने फरमाया की किसी वारिस के हक में मरने वाले की वसीयत जारी न होगी मगर जब्की दूसरे वारसा चाहे.

_मिश्कत रिवायत का खुलासा.